न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 131 / 2018

अनवान : –

1. भारत पुत्र बृजलाल जाति सांसी निवासी दीपलाना तहसील नोहर जरिये नाबालिग संरक्षिका माता कमला पत्नी बृजलाल जाति सांसी निवासी वार्ड स0 10 दीपलाना हाल निवासी वार्ड स0 18 नोहर तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र फुलाराम जाति सांसी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. फुलाराम पुत्र हीराराम जाति सांसी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. रमेश पुत्र फुलाराम जाति सांसी निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. सुरजा पुत्री फुलाराम पत्नी श्यामलाल जाति सांसी निवासी नथवानिया तहसील नोहर।
5. गंगादेवी पुत्री फुलाराम पत्नी गंगाराम जाति सांसी निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
6. राजो पुत्री फुलाराम पत्नी पीराराम जाति सांसी निवासी चुरू।
7. सोमा पुत्री फुलाराम पत्नी किसनाराम जाति सांसी निवासी नूरपूरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. सुनीता पुत्री फुलाराम पत्नी सुनील सांसी निवासी चुरू।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
10. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 03/04/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 24 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 45 / 52 के ख0न0 349 / 442 मु0न0 31 के किला न0 24 की 0.2530, 25 की 0.2280 हैक्ट, प0न0 349 / 443 मु0न0 33 के किला न0 4 की 0.2530 हैक्ट, 5 की 0.2270 हैक्ट, 6 की 0.2280 हैक्ट, 7 की 0. 2530 हैक्ट, मु0न0 65 / 2 के किला न0 0 / 2 की 0.0760 हैक्ट कुल 1.5180 हैक्ट भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी की दादी बखी पत्नी फुलाराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद गैरसायलान संख्या 1 ता 8 के नाम दर्ज हुई है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। गैरसायल स0 4 ता 8 ने अपना हक हि[illegible] के बारहवे के दिन अपने भाईयों व पिता के पक्ष में त्याग कर दिया था [illegible] करवा पाने का अधिकारी है वाद भूमि का खाता व लगान [illegible] व डोल को लेकर [illegible] रहता है इसलिए वादी अपने नाम भूमि दर्ज करवा अपना खाता [illegible] लगान अलग करवा[illegible] का अधिकारी है। गैरसायल स0 4 ता 8 उक्त भूमि मं से अच्छी किस्म की भूमि को अजनबी क्रेतागणों को बेचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.07 10:36:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करना चाहते है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायलान के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 24 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 45/52 की कुल 1.5180 हैक्ट कृषि भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 8 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों तखी के नाम दर्ज रही है और तखी की फौतदगी के बाद गैरसयालान स0 1 ता 8 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। सायल द्वारा अपने अधिकारो की घोषणा एवं वाद भूमि का खाता व लगान अलग करने हेतु प्रार्थना पत्र एव वाद पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण एवं खाता व लगान अलग होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को [illegible] अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण विवादि[illegible] सायल द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा एवं खाता व लगान अल[illegible]गण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 5, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कि[illegible] हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहन बैय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.07 10:36:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थीगण का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है या नही एवं प्रार्थी खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है या नही का निर्धारण मूल वाद में तय होना है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा 24 डीपीएन तहसील नोहर के के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 45/52 की कुल 1.5180 हैक्ट कृषि भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 03/04/2025 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.07 10:36:38 IST
Reason: SelfAttested